

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवचरण मीना, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-

03 / 2023

प्रविष्टि दिनांक:-

30.01.2023

मेवा पुत्र जोरू उर्फ जोरा राम जाति गुर्जर निवासी नयागांव, गोठडा, तहसील दूनी जिला टोंक अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक

..... रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार दूनी दिनांक 28.12.2022 मिसल संख्या 566 / 2022

उपस्थित: (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट

(2) रामप्रसाद कुमावत, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 10.04.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 द्वारा अपीलाण्ट को भूमि खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी का अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व लगान राशि 4.00 रुपये का 50 गुना पेनल्टी जुर्माना राशि 200/- रुपये आरोपित कर अपीलाण्ट को भूमि से बेदखल किए जाने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलाण्ट की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल कराये बिना एवं अपीलाण्ट को सुनावाई का कोई अवसर दिए बिना एक तरफा में पारित किया है। अपीलाण्ट अनपढ़, ग्रामीण काश्तकार है जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है, उस पर नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं हुई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट गरीब भूमिहीन सद्भावी कृषक है जिसकी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की कभी मंशा नहीं रही है, उसके द्वारा उक्त भूमि



शिवचरण मीना
टोंक

पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी नहीं किया है और ना ही उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कोई फसल काश्त की है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की सही एवं वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना गलत रूप से उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई समक्ष साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गयी है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, उसके उपरांत भी यह निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवायी है और ना ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है, पटवारी हल्का ने कोई निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार भी नहीं की है। पटवारी हल्का ने कब व किसके सामने रिपोर्ट तैयार की, इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। पटवारी हल्का ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है। उसके उपरांत भी उक्त आदेश पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलांट की विधिवत तामिल हुई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 फसल रबी में सरसों की बुवाई कर अनाधिकृत कब्जा करके अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त चरागाह भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 521/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलांट की विधिवत रूप से तामिल हुई है किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का के रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 रबी में सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा किया था जिसे तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 521/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था। अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के आदी है। इस संबंध में तहसीलदार दूनी से भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था। वर्तमान में फसल काट ली गई है एवं भूमि पडत है। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट



राजस्थान न्यायालय
जयपुर

बार-बार अतिक्रमण कर फसल काश्त कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)
अति.जिला न्यायाधीश, टोक